

कर्नाटक सरकार

विवादास्पद विधेयक

कर्नाटक सरकार के विवादास्पद विधेयक में स्थानीय लोगों को 'आरक्षण' का प्राविधान किया गया था, लेकिन आईटी उद्योग की कठोर प्रतिक्रिया के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कर्नाटक सरकार को निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाले विधेयक को उद्योग जगत से तीखी प्रतिक्रिया के बाद रोकना पड़ा है। सरकार राज्य विधानसभा में रखने के पहले इस पर युनिवर्चार करेगी। यह निर्णय राज्य कैबिनेट द्वारा विधेयक स्वीकार करने के कुछ ही घंटे के भीतर आया जिसमें निजी क्षेत्र में प्रबंधन के पदों पर 50 प्रतिशत तथा गैर-प्रबंधन पदों पर 75 प्रतिशत कन्नड़वासियों को आरक्षण का प्राविधान था। कर्नाटक 'स्टेट इम्प्लायमेंट आफ लोकल कैंडीडेट्स इन द इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ एंड अदर स्टेट्सिलशेमेंट बिल, 2024' को विधानसभा में गुरुवार को रखा जाना था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तथा उनके मंत्रियों ने विधेयक की प्रशंसा करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि यह उनके 'कर्नाटक समर्थक' दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य 'कन्नड़वासियों का कल्याण सुनिश्चित करना' है। लेकिन विधेयक का आईटी उद्योग की ओर से भारी विरोध हुआ और उसने इसकी आलोचना की। उसका तर्क था कि इससे बैंगलुरु में टेक्नोलोजी क्षेत्र प्रभावित होगा तथा कर्नाटक में आईटी उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विधेयक के पीछे राज्य के निवासियों में भारी बेरोजगारी को कारण बताया गया था। इसका उद्देश्य कर्नाटक में रोजगार के अवसरों में स्थानीय प्रतिभा को प्राथमिकता देना था।

A portrait of a man with glasses and a white shirt, looking slightly to the left. He appears to be middle-aged or older. The background is slightly blurred.

अदालत बाचा ए आता आर कानून दावपच लब समय तक चलत। इसके साथ ही प्रस्तावित विधेयक से क्षेत्रवाद और सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका थी। आशंका थी कि ऐसी नीति से स्थानीय व गैर-स्थानीय के बीच विभाजन पैदा होगा। इससे समाज में विघटन तथा संभवतः टकराव पैदा हो सकता है। फेडरेशन आफ इंडियन चैर्चर्स आफ कार्मस-फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में कुल बेरोजगारी दर 2.7 प्रतिशत है जो 4.2 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है। लेकिन इन आंकड़ों से स्थानीय लोगों की कम रोजगार प्राप्त करने की क्षमता छिप जाती है। लेकिन इसे ठीक करने के लिए लोकरंजक उपाय सर्वोत्तम समाधान नहीं हैं। नौकरियों में आरक्षण को अनिवार्य बनाने के बजाय सरकार को स्थानीय लोगों में शिक्षा और कौशल बढ़ाने पर केन्द्रित विकास कार्यक्रम चलाने चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा बेहतरीन व्यावसायिक प्रशिक्षण देने से स्थानीय नौजवानों का सशक्तीकरण होगा तथा वे रोजगार बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतियोगिता कर सकेंगे। हालांकि, वापस लिया विधेयक अलग स्वरूप में वापस लाया जा सकता है। विधेयक को ठंडे बस्ते में डालने के गंभीर राजनीतिक प्रभाव होंगे। कर्नाटक सरकार ने फिलहाल आईटी उद्योग व अन्य बिजनेसों से टकराव बचा लिया है, पर रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा करने वाला उसका बोटबैंक प्रभावित हो सकता है।

अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा

डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला देश में उथलपुथल वाला राजनीतिक परिवेश रेखांकित करता है। यह अमेरिकन लोकतंत्र और समाज के लिए चिन्ताजनक है।



क्या संयुक्त राज्य अमेरिका
आंतरिक गृह युद्ध की ओर
बढ़ रहा है? इस वर्ष के प्रारम्भ में आई
एलेक्स गार्लैंड की हालिया फिल्म
'सिविल वार' टकराव का एक काल्पनिक
लेकिन भयावह परिदृश्य प्रदर्शित करती है
इससे हालिया दशकों में अमेरिका द्वारा
शुरू किए युद्धों के परिणाम सामने आते हैं
जिनका लक्ष्य अपना वर्चस्व स्थापित करना
था, लेकिन अब देश में इसके अशुभ
संकेत दिख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड
ट्रंप की मैनसिलवानिया के बटलर में
अपर्याप्त और मैनसिलवानिया के बटलर में

आयोजित रूप से हत्या का प्रयास एक खतरनाक मुद्दा सामने लाता है। इस घटनाके के कारण अनेक कथित पड़यंत्रों की चर्चा हो रही है जिनसे सीक्रेट एजेंसियों के कामकाज पर सवाल उठता है, जिनके प्रमुखों ने सार्वजनिक रूप से ट्रैप की आलोचना की थी। एक पुलिस स्नाइपर ने शूटर थामस मैथ्रु क्रुक्स की फोटो लगभग आधे घंटे पहले खोंची थी, जब इस 20 वर्षीय युवा ने ट्रैप पर रैली के दौरान गोली छलाई। इससे हत्या का यह प्रयास रोकने की अनेक विफलतायें सामने आती हैं। इस्से हमले के बावजूद ट्रैप का राजनीतिक कदमजबूत हुआ है।

उन्होंने रिपब्लिकन सिनेटर जेडी वांस्टेन को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपना सहयोगी चुना है। वांस एक समय ट्रैप के मुखर आलोचक थे, पर अब वे उनके मजबूत समर्थक बन गए हैं तथा उनकी वांस उनकी नीतियों की मजबूत पैरोकारी करने रहे हैं। ट्रैप का कान छूती निकली गोली के बाद ट्रैप का राजनीतिक विर्माश बदल गया है और धायल होने के बावजूद वे और मजबूत हुए हैं। हालांकि, यह आश्चर्यजनक हमला अमेरिका में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक हिंसात्मक के इतिहास का नवीनतम प्रकरण है। यहां परिघटना अमेरिका के राष्ट्र बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या सबसे पहले हुई थी जिनको 1865 में जान विलिक्स बूथ ने गोली मारी थी। गृह युद्ध में लिंकन द्वारा 'अश्वेत अधिकारों' के

A composite image featuring two photographs of Donald Trump. The left photograph shows a man's hand raising a fist towards Trump's head. The right photograph shows a close-up of Trump's face with a prominent, dark red, bloodied wound running down his nose and cheek.

समर्थन का परिणाम उनकी 'मुक्ति घोषणा' के रूप में सामने आया था और यही उनकी हत्या के पीछे प्रमुख कारण था। इसके बाद राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनले और जान एफ कैनेडी भी ऐसी हिंसा का शिकार हुए थे। गारफील्ड की हत्या 1881, मैकिनले की 1901 व कैनेडी की 1968 में हुई थी।

इनमें से प्रत्येक हत्या ने देश और उसकी राजनीतिक संरचना पर व्यापक प्रभाव डाला था। राजनीतिक हिंसा केवल राष्ट्रपतियों तक सीमित नहीं थी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में रार्ट एफ. कैनेडी व जार्ज सी. वैलेस पर भी निशाना लगाया गया था। कैनेडी की 1968 में हिंसा के साथ ही वैलेस 1972 में लकड़े का शिकार हुए थे। जेराल्ड फोर्ड व रोनाल्ड रीगन जैसे राष्ट्रपतियों को कई बार हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ा था। इससे अमेरिकन राजनीति में हिंसा की धमकी स्पष्ट होती है। अमेरिका आजकल इस तथ्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बन गया है कि जब नीति निर्माता बाहरी मामलों पर ज्यादा ध्यान देते हुए आंतरिक मुद्दों की अनदेखी करते हैं तो राज्य का ढाँचा कमज़ोर हो सकता है। उदाहरणार्थ, 'फेंटानिल संकट' अमेरिकी समुदायों को प्रभावित कर रहा है और इके चलते छोटे बच्चे और शिशु लगातार इस 'ओपायड' का शिकार होते जा रहे हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हेरोइन से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। देश में पैदा हुआ यह

आंतरिक संकट यूक्रेन और इसराइल को ओलोा बारूद व उत्कृष्ट हथियारों के निर्यात समस्याओं का मुख्यकारण केवल संस्थान में होकर प्रमुख मूल्यों का क्षरण भी होता है। एक समग्र व व्यापक मूल्य व्यवस्था के अधार में राजनीतिक प्रबंधन बहुत कठिन हो जाता है। यह दूँह ऐसे समय पैदा होता है जब प्रगति से नए मूल्यों की मांग पैदा होती है, जबकि प्रमुख मूल्य बनाए रखना चाहिए। इस संतुलन की अनदेखी करने से विमाज में अराजकता तथा नैतिक संकट की स्थिति पैदा होती है। डूबते सूरज की तरह इस अपरिहार्य क्षरण को केवल शक्ति में नहीं रोका जा सकता है।

अमेरिका में पैदा राजनीतिक परिवेश उसकी वैश्विक कार्बाइडों का परिणाम है और अनेक अभूतपूर्व घटनाओं के माध्यम से यह अवश्यभावी पतन का संकेत देता है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से जारी उन नीतियों का उत्पाद हैं जो अक्सर धेरेलु प्रभावों की अनदेखी से पैदा होते हैं। वे अमेरिकन राजनीति में कारणों के बजाय एक लक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अमेरिकन जनता की कीमत पर दूसरे देशों का शोषण करने के इतिहास से सामने आया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि राजनीतिक हिंसा में शामिल होना एक व्यक्त गतिविधि है जिसके नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। किसी का जीवन छीना नैतिक रूप से पूर्णतः गलत है, भले

उसकी भूमिका तथा गलतियां चाहे जो हैं। ट्रॅप की हत्या का प्रयास अनेक सवाल देते हैं करता है जिनके जवाब नहीं दिए गए। इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि नशाट 'डिटेक्टर्स' का रैली में प्रयोग या गया था, जबकि ऐसे डिटेक्टर तेजी शूटर का पता लगा सकते हैं। शूटर नप्स क्रुक्स ने ऐसी बंदूक का प्रयोग या जिसे विधिक रूप से उसके पिता ने अधिक रूप से खरीदा था। ऐसे में सवाल तो हैं कि क्या बंदूक खासतौर से उसके ए खरीदी गई थी क्योंकि पेंसिलवानिया कानून 20 वर्षीय लोगों को बंदूक दीदने का अधिकार देते हैं।

खबरों के अनुसार शूटर की पहचान के डीएनए से हुई, इसका अर्थ है कि वारी सदस्यों ने नमूने दिए थे। खबरों यह भी पता चलता है कि बंदूक का रियल नंबर छिपाने के कोई प्रयास नहीं ए गए थे और शूटर ने हाल ही में 50 डॉलर 5.56 एमएम गोलियां खरीदी थीं। अभिक एकास्टिक प्रमाणों से संकेत लगता है कि ट्रॅप पर निशाना लगाने में वे शूटरों के अनुसार, शुरुआती गोली शूटर स्थिति से चलाई गई थी, जबकि बाद अज्ञात स्रोतों से भी गोलियां चलाई गईं। क्रेट सर्विस स्नाइपरों द्वारा खतरे को नाप करने के लिए एक गोली चलाई गई, जिकि एकास्टिक प्रमाणों से इसमें अंगति दिखाई देती है। इससे घटना की र गंभीरता से जांच की आवश्यकता

सूचनाधिकार कानून के समक्ष चुनौतियाँ

एन. सरना, नीरज कुमार गुप्ता और अमिता पांडेव जैसे कई अन्य सूच आयुक्त पिछले साल की शुरुआत में अपने अपने कार्यकाल के अंत में सेवानिवृत्त गए थे। मुख्य सूचना आयुक्त वाइ. एसि.न्हा 3 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हु जिसके बाद सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया को मुख्य सूचना आयुक्त के पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 2023 के 3 तक आयोग की कुल संख्या घटकर मतीन रह गई, जबकि वर्ष की शुरुआत अधिकतम दस सदस्य थे। पिछले महीने सरकार के गठन के बाद भी रिक्त पदों भरने में बहुत कम रुचि दिखाई गई है।

क सीआईसी भवन में दूसरी अपीलों तक
बर शिकायतों का बोझ बढ़ गया है।
को स्तंभकार की दूसरी अपील, जो पहले से
ज में दस महीने से लंबित है, में अधिकारियों
में दस महीने से लंबित है, में अधिकारियों
न्य प्रतीक्षा अवधि देखने को मिल सकती
न्त इसके परिणाम की तुलना न्यायपालिका
दो लंबे इंतजार से नहीं की जा सकती। सूची
ना नाजुक होती है और न्याय से भी तेजी
ना परानी हो जाती है। यहाँ पर इस स्तंभकार

सुझाव मददगार साबित हो सकते थे। 2010 से आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में अपने सीमित अनुभव में उन्होंने पाया है कि सीपीआईओ (केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी) आम तौर पर सूचना को कर्तव्यनिष्ठा से साझा करते हैं। हालांकि, जहाँ वे ऐसा नहीं करते हैं, वहाँ अपीलीय प्रधिकारी, जो आम तौर पर विभाग/मंत्रालय में उनके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, बहुत कम मदद करते हैं। वे अपने कनिष्ठों के साथ मिलकर सूचना को दबाते हैं, जाहिर तौर पर कायालीय की राजनीति में एहसान/दाखिलों के बदले में।

5056 आरटीआई अपीलों का निपटारा किया, जो आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के वर्ष के बाद से सबसे अधिक है। हालांकि, यह अपीलीय प्राधिकारी के पूर्ण गैर-निष्पादन का भी प्रतिबिंब है। यदि उन मामलों का विभाग केवल भीतर ही पहली अपील के चरण में संतोषजनक ढंग से निपटारा कर दिया जाए तो, तो दूसरी अपील के लिए सीआईएस

से संपर्क करने की बहुत कम आवश्यकता होती। कई कारणों से सूचना को दबाया जा सकता है। दुरुलभ मामलों में, ऐसा हो सकता है कि सीपीआईओ ने अपनी मूल क्षमता (अनुभाग अधिकारी या अवर सचिव के रूप में) में कुछ ऐसा कार्य किया हो जिसकी वह जांच करवाना चाहता हो। इस मामले में, एक व्यक्ति को झूठे आरोपों के आधार पर काली सूची में डाल दिया गया, जबकि उसका मंत्रालय के साथ कोई वित्तीय लेन-देन नहीं था।

काली सूची में डालने के आदेश पर, हालांकि सक्षम प्राधिकारी की मजूरी के साथ, सीपीआईओ ने अवर सचिव के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता में हस्ताक्षर किए

बाद (सीआईसी में महीनों से लंबित अपील के कारण) वही जानकारी मांगी, तो या कि फाइल अभी भी प्रस्तुत की जा रही है!

निष्कर्ष स्पष्ट हैं। दोनों ही अवसरों पर, थम अपीलीय अधिकारी, जो एक आईएस अधिकारी है, ने पारदर्शिता के जाय दमन के कारण को बढ़ावा दिया। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत आवेदक को सूचना देने से नुचित तरीके से इनकार करने पर अपीआईओ पर 25,000 रुपये से अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

हालांकि, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य में स्पष्ट रूप से विफल दर्जनों या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। अनुशासनात्मक कार्यवाही की किसी जाइश के बग्र कार्यपालिका के किसी दस्त्य को अर्ध-न्यायिक शक्ति प्रदान करना शक्ति के दुरुपयोग का ही एक तरीका। अपील की सुनवाई के लिए सीआईसी टिटिस केवल सीपीआईओ को भेजा जाता, न कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को।

सीपीआईओ, जो एक जूनियर अधिकारी है, के सामने सूचना आयुक्त द्वारा डांट दिए जाने का डर प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से कार्रवाई की ईमानदारी सुनिश्चित करेगा।

प्रथम अपीलीय अधिकारी को अनुशासित करना केंद्रीय सूचना आयोग के डेस्क पर लंबित मामलों के बोझ को कम करने की कुंजी है। सरकार ने हाल ही में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो 1975 में आपातकाल की घोषणा की याद में एक अजीब नाम है।

जबकि आपातकाल लोकतंत्र विरोधी हो सकता था, यह अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होने के कारण अपने आप में असंवेधानिक नहीं था। अगर सरकार 21वीं सदी में लोकतंत्र को मजबूत करने में दिलचस्पी रखती है तो संविधान हत्या दिवस या यहां तक कि भारत लोकतंत्र की जननी जैसी ब्यानवाजी काम नहीं करेगी अगर सीआईसी की ताकत कम कर दी जाए। 2005 का आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता, जबाबदेही और शासन के लिए एक प्रमुख उपकरण था।

— आप की बात

बाल विवाह

सिविल सोसाइटी संगठनों के नेटवर्क चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया से जुड़ी रिसर्च टीम इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने 2011 की जनगणना से आंकड़ों के साथ एनसीआरबी और नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की सूचनाओं का विश्लेषण किया। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 16 लाख नाबालिंग लड़कियों की शादी हो रही है। हालांकि, भारत में आजादी से पूर्व 1929 में ही नाबालिंगों की शादी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब प्रशासकीय अमलों के साथ-साथ सुदूर गांवों में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता तैनात हैं। इसके बावजूद नाबालिंग लड़कियों की शादी प्रशासनिक व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े होते हैं। संचार क्रांति के चलते गांव-गांव तक स्मार्टफोन और टीवी के जरिए हर नागरिक को पता है कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध होने के साथ-साथ नाबालिंग बच्चों के जीवन को भी बर्बाद करता है। बाल विवाह रोकने के लिए तहसील स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देश की व्यापक प्रगति के बावजूद सबसे गरीब लोगों में सामाजिक जागरूकता तथा शिक्षा का अभाव एवं सड़ी-गली पुरानी मान्यताओं का अब भी

प्रकारण है।

ड मैरिज फ्री इंडिया से 2011 की जनगणना से 11 मिली हेल्थ सर्वे-5 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शादी हो रही है। हालांकि, अपने लोगों की शादी पर प्रतिबंध न साथ-साथ सुदूर गांवों में भी उपलब्ध हैं। इसके बावजूद विवाह वस्था की प्रभावशीलता चलते गांव-गांव तक पता है कि बाल विवाह ग्रामिण बच्चों के जीवन में के लिए तहसील स्तर पर होनी चाहिए। देश की मान्यताओं का अब भी

तलाक की विभीषिका

तलाक खासकर बच्चों के लिए हृदयविदारक है जिससे उनका भविष्य चौपट हो सकता है। उन्हें असल माता-पिता का लाड़-दुलार जो एक घर में रह कर मिलता है वह माता पिता के दूर-दूर रहकर नहीं मिल सकता है। यदि बच्चे से माँ या पिता दूर रहे तो वह एक के प्यार से वर्चित ही रहेगा। यदा-कदा बच्चे से मिलना और पेरेंट्स के साथ बारी-बारी से बच्चे के रहने से सामान्य जीवन की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। बेहतर यही है कि या तो युगल शादी बहुत ही सोच समझ कर करें। विवाह बंधन में बधने और बच्चा पैदा होने के पारंपर गति क्लर्क विवाह दों दों कठिनाइयों को देख कर हल करने का प्रयास करें। युवाओं को समझना चाहिए कि तलाक एक मामूली सा सम्बन्ध विच्छेद नहीं है, बल्कि इससे पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। विंडंबना है कि भारत में संयुक्त परिवार टूटने तथा एकल परिवारों में भी माता पिता के अलग-अलग स्थानों में काम करने अथवा अपने साथी की सोच से समझौता न करने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण तलाक जैसी कुपृथा बढ़ती जा रही है। इस विभीषिका का सबसे हानिकारक प्रभाव बच्चों के साथ उन वृद्धों पर भी पड़ता है जो अपने युवा बेटे-बेटियों से दूर रहते हुए प्रवृत्त होते हैं।

कांवड़ यात्रियों को सुविधा

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबा, दुकानों या ठेलों पर मालिक का नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर सियासी घमासान मचा है। जबकि मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश में कोई बुराई नहीं है। नाम प्रदर्शित होने से शुद्ध शाकाहारी कावड़ियों को सुविधा मिलेगी जो कम से कम इस यात्रा के दौरान लहसुन, प्याज जैसी चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। कई बार शुद्ध शाकाहारी लोग जाने अनजाने नाम के भ्रम में ऐसी दुकानों पर चले जाते हैं, जहां वेज व नानवेज दोनों प्रकार का भोजन बनता है। अतीत में ऐसे अनेक मामले विवाद का कारण बने हैं। विपक्षी दलों को ऐसे मुद्दों पर सियासत करने से बचना चाहिए। यह सियासत का मसला है ही नहीं। किसी भी ग्राहक को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी दूकान से सामान खरीदे या नहीं। समस्या कुछ लोगों द्वारा अपनी पहचान छिपा कर फर्जी नाम से मुनाफा बटोरने के कारण पैदा होती है। दूकानों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित होने से खाद्य वस्तुओं में मिलावट अथवा अन्य कारणों से किसी के बीमार होने पर पुलिस व प्रशासन को दोषी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुविधा होगी। - हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से hemacharod@rediffmail.com

